नहीं किया जा सकता पेटेन्ट

गुणसूत्र और जीन्स का

एच.के. गोस्वामी

'हमारे' करीब 20 प्रतिशत जीन्स पेटेन्ट हो चुके हैं। इस मामले में अमरीकी अदालतों का फैसला है कि 'मानव निर्मित हर चीज़ का पेटेन्ट हो सकता है।' सवाल यह उठता है कि गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स को पेटेन्ट कैसे किया जा सकता है? यह तो ऐसा होगा कि हम किसी आलीशान इमारत की प्रतिलिपि (अनुकृति) बनवाएं और फिर मूल इमारत का पेटेन्ट उस व्यापारी के नाम कर दें जिसने इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था।

सत्तर के दशक की शुरुआत में एक नारा बुलंद हुआ था, 'आप वही हैं जो आपके जीन्स हैं।' यह नारा इस बुनियाद पर टिका था कि हर स्तर पर यह पता चल रहा था कि हम जैसे दिखते हैं, हमें जो बीमारियां होती हैं, और कुछ हद तक जिस ढंग से हम व्यवहार करते हैं, ये सब काफी हद तक जीन्स और बाहरी व अंदरूनी पर्यावरण की परस्पर क्रिया से निर्धारित होते हैं। ये प्रमाण जनसमूहों, परिवारों, व्यक्तियों के अलावा एन्ज़ाइमों में विविधता के अध्ययनों से मिल रहे थे।

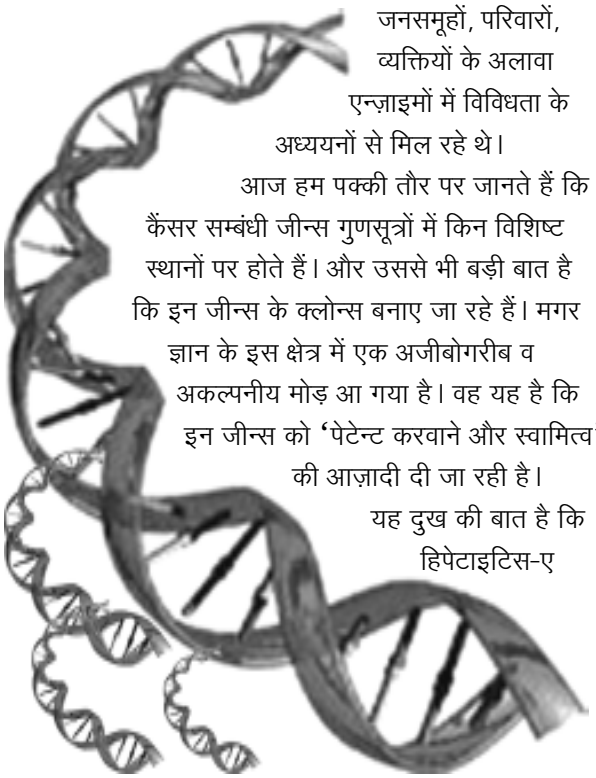

आज हम पक्की तौर पर जानते हैं कि कैंसर सम्बंधी जीन्स गुणसूत्रों में किन विशिष्ट स्थानों पर होते हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि इन जीन्स के क्लोन्स बनाए जा रहे हैं। मगर ज्ञान के इस क्षेत्र में एक अजीबोगरीब व अकल्पनीय मोड़ आ गया है। वह यह है कि इन जीन्स को 'पेटेन्ट करवाने और स्वामित्व' की आज़ादी दी जा रही है।

यह दुख की बात है कि हिपेटाइटिस-ए वायरस जिस प्रोटीन की मदद से कोशिका से जुड़ता है, उस प्रोटीन को बनाने वाले जीन को यू.एस. के स्वास्थ्य विभाग ने पेटेन्ट करवा लिया है। इसी प्रकार से, मेरुरज्जु के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले जीन का पेटेन्ट हार्वर्ड विश्वविद्यालय समूह के नाम है। संक्षेप में, 'हमारे' करीब 20 प्रतिशत जीन्स पेटेन्ट हो चुके हैं और किसी अन्य व्यक्ति या समूह की सम्पत्ति हैं। कम से कम 50 प्रतिशत कैंसर जीन्स (हमारे जीन्स) पर अन्य लोगों का कॉपीराइट है। इस मामले में अमरीकी अदालतों का फैसला है कि 'मानव निर्मित हर चीज़ का पेटेन्ट हो सकता है।'

सवाल यह उठता है कि गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स को पेटेन्ट कैसे किया जा सकता है? इन जीन्स के जो क्लोन जीन्स हैं वे तो गुणसूत्रों पर नहीं होते। एक तरह से देखें तो क्लोन जीन्स हमारे जीन्स की प्रतिलिपियां हैं। यह तो एक कानूनी भूल होगी कि हम किसी भी चीज़ की प्रतिलिपि को पेटेन्ट कराने की अनुमति दे दें। यह तो ऐसा होगा कि हम उम्दा इंजीनियर्स नियुक्त करके किसी ऐतिहासिक इमारत की प्रतिलिपि (अनुकृति) बनवाएं और फिर मूल इमारत का पेटेन्ट उस व्यापारी के नाम कर दें जिसने इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था। न्यायिक निर्णयों की नैतिकता मानव मस्तिष्क की जुगाड़ प्रवृत्ति को बढ़ावा देने में है न कि मानव शरीर के विभिन्न अंगों और कार्यों पर पेटेन्ट देने में।

दरअसल नैतिक मूल्यों के आधार पर नहीं बल्कि

न्यायिक धरातल पर एक अन्य विचार प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि परखनली में रखे एक पेटेन्टेड क्लोन्ड जीन के मालिक को गुणसूत्र में उपस्थित मूल जीन का कॉपीराइट दिया जा सकता है या नहीं। ज़ाहिर है, गुणसूत्र में 'जीन परिवेश' उस जीन की प्रतिलिपि से अलग होता है।

किसी वनस्पति या जंतु को पेटेन्ट कराना या उसके लिए सम्पत्ति अधिकार सम्बंधी कानून बनाना अलग बात है। इन वनस्पतियों व जंतुओं तथा इनसे प्राप्त उत्पादों के लाभ कई मालिकों में बंटते हैं या पेटेन्ट धारक को मिलते हैं। मगर मानव जीन्स तो स्पष्टतः मनुष्य की सम्पत्ति है।

जीव वैज्ञानिकों, नैतिकताविदों और न्यायाधीशों को मिलकर कोई मंच गठित करना चाहिए और भविष्य के बारे में विचार विमर्श करना चाहिए क्योंकि जीन सम्बंधी डैटाबेस से पता चलता है कि पेटेन्टिंग का शिंकजा जीव-जंतुओं को जकड़ लेगा। आज मनुष्य के हर गुणसूत्र के कई क्षेत्र पेटेन्ट हो चुके हैं। एक दशक के अंदर पूरे के पूरे गुणसूत्र पेटेन्ट हो जाएंगे। पहले जीन्स को पेटेन्ट करना और फिर गुणसूत्रों के पेटेन्ट पर छलांग लगाना - इससे निश्चित तौर पर अनुसंधान कार्य में अवरोध पैदा होंगे, जीन्स के व्यापक उपयोग में कठिनाई होगी और जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स आधारित उपचार व चिकित्सा के क्षेत्र में वैज्ञानिक खोज की आज़ादी बाधित होगी। यहां एस. ग्रे का कथन दोहराना उचित होगा, 'क्या इसका मतलब यह है कि इलाज की खोज करने की बजाय शोधकर्ताओं को अपना ज़्यादातर समय अदालती लड़ाइयों में व्यतीत करना चाहिए?' ***(स्रोत फीचर्स)***

अगले अंक में

स्रोत अगस्त 2006
अंक 211

- **स्टेम कोशिकाओं से घोड़ों का इलाज**
- **क्या मलेरिया अजेय हो जाएगा?**
- **परमाणु ऊर्जा कोई विकल्प नहीं है**

- **क्या चंबल नदी भी सरस्वती की तरह लुप्त हो जाने वाली है?**
- **अन्य सौर मंडलों में ग्रहों की सस्ती खोज**